भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3096
जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

न्यायालयों का आधुनिकीकरण एवं अवसंरचना का संवर्धन

3096. श्री दामोदर अग्रवाल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अवसंरचना के आधुनिकीकरण और संवर्धन के लिए भारत के निचले न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय को आवंटित धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान अवसंरचना के आधुनिकीकरण और संवर्धन के लिए राजस्थान के भीलवाड़ा में निचले न्यायालयों को आवंटित धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या आवंटित धनराशि पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का आगामी वर्ष के दौरान उक्त धनराशि बढ़ाने का विचार है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अवसंरचना के संनिर्माण के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए वर्ष 1993-94 से न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) को कार्यान्वित करती रही है। इस स्कीम के आधीन पांच घटक शामिल हैं, अर्थात, न्यायालय हॉल, आवासीय इकाइयां, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसर और वकीलों और वादियों की सुविधा के लिए डिजिटल कंप्यूटर कक्ष। जबकि जिला न्यायालयों में अवसंरचना का विकास मुख्यतया राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है, केंद्रीय सरकार, उक्त स्कीम के माध्यम से राज्य सरकार के संसाधनों में अनुपूर्ति करती है। केंद्रीय सरकार ने इस स्कीम के अधीन पिछले 5 वर्षों के दौरान 4,244 करोड़ रुपये और चालू वित्त वर्ष के लिए 998 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। इस स्कीम के अधीन पिछले 5 वर्षों में आबंटित निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**वर्ष**	***रकम (रु करोड़ में)***
1.	2019-20	982.00
2.	2020-21	593.00
3.	2021-22	770.44
4.	2022-23	848.00
5.	2023-24	1051.00
6.	2024-25	998.00

संसाधन आबंटन और निष्पादन दोनों के संदर्भ में, उच्च न्यायालयों का सन्निर्माण और उन्नयन, संबंधित राज्य सरकारों का एकमात्र उत्तरदायित्व है और इसलिए ये डाटा केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

पिछले 5 वर्षों में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा अवसंरचना के आधुनिकीकरण और संवर्धन पर

व्यय का ब्यौरा नीचे सारणीबद्ध किया गया है –

(रु करोड़ में)

वस्तु शीर्ष	वर्ष	निधि आबंटन
सूचना,कंप्यूटर,दूरसंचार (आईसीटी) उपस्कर / सूचना प्रौद्योगिकी	2024-25	45.97
	2023-24	24.00
	2022-23	45.00
	2021-22	10.00
	2020-21	10.00
	2019-20	0.20
कुल		**135.17**

*स्रोत : अनुदान की मांग, मांग संख्या 67 भारत के उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट

न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार भी राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में ई-न्यायालय परियोजना को संबंधित उच्च न्यायालयों के माध्यम से, विकेन्द्रीकृत रीति में, न्यायालयों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईटीसी) समर्थ बनाने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के निकट समन्वय से कार्यान्वित भी कर रहा है। ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले 5 वर्षों में आबंटित निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष	रकम *(रु करोड़ में)*
ई-न्यायालय परियोजना **-2**		
1.	2019-20	180.00
2.	2020-21	180.00
3.	2021-22	98.82
4.	2022-23	0.01
ई-न्यायालय परियोजना **-3**		
5.	2023-24	825.00
6.	2024-25	1500.00

(ख) से (घ) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता किसी वित्तीय वर्ष के दौरान स्कीम के अधीन उपलब्ध बजटीय उपबंध तक सीमित होती है। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी अपेक्षा के अनुसार अपने स्वयं के संसाधनों से अतिरिक्त रकम खर्च करने के लिए स्वतंत्र हैं। न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय रुप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के अधीन पिछले पांच वर्षों में राजस्थान राज्य को आबंटित निधियां 287.68 करोड़ रुपये है, जिसमें से पिछले पांच वर्षों में भीलवाड़ा जिले में न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों के निर्माण पर 1.4274 करोड़ रुपये खर्च किए गए। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में सीएसएस के अधीन वर्ष-वार खर्च की गई निधियां इस प्रकार है:-

क्र.सं.	वर्ष	व्यय *(रु करोड़ में)*
1.	2019-20	0.00
2.	2020-21	0.00
3.	2021-22	1.0551
4.	2022-23	0.0586
5.	2023-24	0.3137
कुल		**1.4274**

ई-न्यायालय परियोजना के अधीन, निधियां ई-न्यायालय परियोजना के अधीन संबंधित उच्च न्यायालयों को उपलब्ध कराई जाती हैं। उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों द्वारा उठाई गई मांगों के अनुसार केन्द्रीकृत रूप से मदों का उपाप्त करते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए अनुसार चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान आबंटित निधियों के ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**जारी की गई निधियां रकम *(रु करोड़ में)***
ई-न्यायालय परियोजना **-2**		
1.	2019-20	1.29
2.	2020-21	10.58
3.	2021-22	1.62
4.	2022-23	-
ई-न्यायालय परियोजना **-3**		
5.	2023-24	20.36
6	2024-25	63.69
कुल		**84.05**

****